न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

सीन अधिकारी :– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 189 / 2022
जीसीएमएस न. 2022 / 00334

गण–

1. हजारीराम पुत्र बोफाराम
   जाति– मेघवाल, निवासी–रूपाथल, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

वादीगण –

1. नथूराम पुत्र हडमानराम
2. हेमाराम पुत्र बाबूराम
3. देवाराम पुत्र बाबूराम
4. सहदेवराम पुत्र तेजाराम
5. महेन्द्र पुत्र तेजाराम
6. सुनिल पुत्र तेजाराम
7. सरजूदेवी पत्नि मनीराम
8. इन्द्रादेवी पुत्री मनीराम
9. मंगतूराम पुत्र माणकराम
10. छेलाराम पुत्र माणकराम
11. कानाराम पुत्र माणकराम
12. पुखराज पुत्र माणकराम
13. हरदीनराम पुत्र बद्रीराम
14. रामकैलाश पुत्र बद्रीराम
15. गुठाराम पुत्र बद्रीराम
    जाति–मेघवाल, निवासी–रूपाथल, तहसील–जायल (नागौर)
16. तहसीलदार, जायल

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश मेघवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 से 15 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 16 राजपैरोकार उपस्थित

– निर्णय –

दिनांक : 13/12/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 15 के बडेर का खेत मौजा रूपाथल में खेत खसरा नम्बर 588 रकबा 1.7401 हेक्टेयर रहता चला आया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 15 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी के दादा स्वं. रावताराम का स्वर्गवास 06.08.1968 को ग्राम कुचेरा मे हो

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

गया तथा वादी के पिता बोपाराम का स्वर्गवास भी दिनांक 20.01.2000 को ग्राम कुचेरा मे हो गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 ग्रामीण परिवेश के होने से खेताय में फौतगी नामान्तकरण दर्ज नही करवा पाया तथा खातेदारी वादी के दादा के नाम दर्ज हो रखी है। तथा वादी के दादा एवं पिता की मृत्यू के पश्चात वादी एंव प्रतिवादीगणों के मध्य आपसी मौखिक बंटवाडा होने से सीवें निवें कायम कर कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 का खेताय पर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा करने पर खेत ख.न. 588 रकबा 1.7401 हेक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 के बंट मे रखा गया है तथा अन्य पक्षकारान के बंट में अन्य खेताय आने से इस खेत मे किसी प्रकार का बंट नही रखा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 अपने बंट के खेताय पर काबिज काश्त होकर करसण करते आ रहे परंतु राजस्व रिकॉर्ड में आज दिन भी वाद एवं प्रतिवादी सं0 7 के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होकर खातेदारी वादी के दादा स्व. रावता राम के नाम दर्ज चली आ रही है जिस कारण वादी को यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी बंटवाडा खेताय का पेश करना जरूरी हुआ है।

वादी ने वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर ईस्तदुआ की है कि मौजा रूपथाल के खेत ख.न. 588 रकबा 1.7401 हेक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 के बंट का होने से वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 के नाम खातेदारी घोषणा की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश मेघवाल ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 16 केवल परफोर्मा पक्षकार है जिसका सम्मन बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रतिवादी सं. 1 से 15 की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र वादी हजारी राम का पेश हुआ साथ में नकल जमाबन्दी ग्राम रूपाथल तहसील–जायल नकल जमाबन्दी खाता सं. 364 सम्वत 2073– 2076 प्रदर्श–1, रावताराम का मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–2, बोफाराम का मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–3, व मनीराम पुत्र बोफाराम का मृत्यू प्रमाण की प्रति प्रदर्श–4 प्रदर्श कराई। अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण की ओर से वाद का समर्थन कर इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। वादग्रस्त भूमिया वादी एवं प्रतिवादीगण की बडेर की भूमि होकर शामिल काश्त की रही है। तथा अन्य किसी पक्षकार के द्वारा न्यायालय में हाजिर वाद का खण्डन नहीं किया गया है। वादग्रस्त खेताय वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 के पुश्तैनी खेताय है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ग्रामीण परिवेश के होने से राजस्व रिकॉर्ड मे फौतगी नामान्तकरण नही भरवा पाये। जिस कारण वादी का यह वाद पेश करना लाजमी आया है। पारिवारिक बंटवाडा अनुसार ख.न. 588 वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 के हक अधिकार मे रखा गया था जिस पर आदिनांक तक वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 का शांतिपूर्वक काश्त करसण करता आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम मौजा रूपाथल में खेत ख.न. 588 रकबा 1.7401 हेक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श 1 के अनुसार रावताराम पुत्र गोकुलराम जाति मेघवाल निवासी कुचेरा की खातेदारी मे दर्ज हे जो वादी के कथनानुसार वादी के दादा हैं। परंतु वादी के द्वारा इस बाबत साक्ष्य पेश नहीं किया है कि वादग्रस्त अराजी वादी की पुश्तैनी भूमि रही हो तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 15 ही खातेदार के एकमात्र विधिक वारिसान हो। वादी के कथनानुसार वादी के दादा की मृत्यू वर्ष 1968 मे हो चुकी थी जिसका मृत्यू प्रमाण पत्र वर्ष 2022 मे जारी किया गया है। वर्ष 1968 से वाद दायर करने की अवधि के दौरान फौतगी नामांतकरण की कार्यवाही वादी के द्वारा क्यों नहीं की गई तथा साथ ही खातेदारी दर्ज नहीं होने से वाद हेतुक कब उत्पन्न हुआ की जानकारी एवं लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र भी वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात न्यायालय का यह मत है कि प्रकरण में खातेदार की फौतगी नामान्तकरण दर्ज नहीं होकर सीधे घोषणा खातेदारी हेतु आवश्यक विधिक दस्तावेज वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गये है तथा साथ ही खातेदार के विधिक वारिसान की जांच फौतगी नामान्तकरण भरने की प्रक्रिया के तहत ही सम्भव है। मात्र वादी के शपथ पत्र एंव प्रतिवादीगणों के इकबाली जवाब के आधार बिना वारिसान की जांच के खातेदारी घोषणा की जाना न्यायालय को उचित नही मानता है।

— : : आदेश : : —

अतः वाद वादीगण का अधिन धार 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पर्याप्त साक्ष्य के अभाव एवं लिमिटेशन एक्ट से बाहर तथा वाद हेतुक सिद्ध नहीं होने से वाद वादी का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 13/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
बइजलास–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 189 / 2022
जीसीएमएस न. 2022 / 00334

वादीगण–

1. हजारीराम पुत्र बोफाराम
   जाति– मेघवाल, निवासी–रूपाथल, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. नथूराम पुत्र हडमानराम
2. हेमाराम पुत्र बाबूराम
3. देवाराम पुत्र बाबूराम
4. सहदेवराम पुत्र तेजाराम
5. महेन्द्र पुत्र तेजाराम
6. सुनिल पुत्र तेजाराम
7. सरजूदेवी पत्नि मनीराम
8. इन्द्रादेवी पुत्री मनीराम
9. मंगतूराम पुत्र माणकराम
10. छेलाराम पुत्र माणकराम
11. कानाराम पुत्र माणकराम
12. पुखराज पुत्र माणकराम
13. हरदीनराम पुत्र बद्रीराम
14. रामकैलाश पुत्र बद्रीराम
15. गुठाराम पुत्र बद्रीराम
    जाति–मेघवाल, निवासी–रूपाथल, तहसील–जायल (नागौर)
16. तहसीलदार, जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश मेघवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 से 15 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 16 राजपैरोकार उपस्थित

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 हाजरी श्री ओमप्रकाश मेघवाल प्रतिवादी संख्या 16 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – **पर्याप्त साक्ष्य के अभाव एवं लिमिटेशन एक्ट से बाहर तथा वाद हेतुक सिद्ध नहीं होने से वाद वादी का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।**
तीज – मुवलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/12/2022 को जारी की गई।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल